ग्राम पंचायत पलाहटा, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत पलाहटा, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया |

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत पलाहटा में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री दीपांकर सिंह कँवर	01.04.2021 से 31.03.2023

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री सदीक मोहम्मद	01.04.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत पलाहटा, विकास खंड बंगाणा, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1)	6.1	अनुदान राशि उपयोग हेतु शेष	16.70
2)	7.1 (क)	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	0.10
3)	7.2	मोबाइल टावर शुल्क की वसूली हेतु शेष	0.10
4)	7.3	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.04
5)	8.1	आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी की कटौती को सम्बन्धित विभाग में जमा न करना	0.54
6)	8.2	आपूर्तिकर्ता के बिलों से स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना	0.23
7)	9	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएँ प्रस्तुत न करना	4.60

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत पलाहटा, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण सर्वश्री देव राज व अशवनी कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षकों द्वारा दिनांक 15.01.2024 से 19.01.2024 तक ग्राम पंचायत पलाहटा के कार्यालय में किया गया | आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	03/2022	03/2022
2022-23	03/2023	10/2022

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत पलाहटा, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200/- आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 58/2024 दिनांक 19/01/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत पलाहटा द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित बंगाणा के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 281084 दिनांक 23/01/2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4(क) **वित्तीय स्थिति:-**

सचिव, ग्राम पंचायत पलाहटा द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 48/2024 दिनांक 17.01.2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/21 से 03/23 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण के अवधि दौरान पांच रोकड़ बहियों अर्थात् स्व स्त्रोत व अनुदान (समेकित रोकड़ बही), स्वच्छ भारत मिशन, 14वां वित्तायोग, 15वां वित्तायोग (Online) व मनरेगा (Online) का रख-रखाव किया गया था |

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹) (3+4)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹) (5-6)
1	2021-22	3123592.6	7375964.2	10499556.8	7425788.2	3073768.6
2	2022-23	3073768.6	7595384.2	10669152.8	8999228.2	1669924.6

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत पलाहटा के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.23 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर **₹157** था :-

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(क) का अंतशेष	1669924.60
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	**1670081.60**
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि	0.00
4)	**योग (2+3)**	**1670081.60**
5)	**अन्तर (4-1)**	**157.00**

अंतर के कारण :- दिनांक 31/05/22, 31/06/22, 30/11/22 व 28/02/23 में स्व स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष के KCCB बंगाणा के बैंक खाता संख्या 20034071086 में बैंक द्वारा ₹40, ₹39, ₹39 व ₹39/- कुल ₹157/- ब्याज का क्रेडिट दिया गया, जिसे दिनांक 31.03.23 तक रोकड़ बही के आय पक्ष में लेखांकित नहीं किया गया |

दिनांक 31.03.23 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है (परिशिष्ट क-1) :-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB Bangana (Own & GIA)	20034023837	697726.00
2	KCCB Bangana (Own & GIA)	20034071086	5615.00
3	PNB THANAKALAN (Own & GIA)	1723000100028440	17195.00
4	PNB THANAKALAN (Own & GIA)	2661000100048549	32639.10
5	PNB THANAKALAN (15th FC)	1723000100115582	914982.00
6	KCCB THANAKALAN (SBM)	50066007269	910.00
7	KCCB THANAKALAN (14TH FC)	50067436061	1014.50
		योग	**1670081.6**
		हस्तगत राशि	**0.00**
		योग (1+2)	**1670081.6**

(ग) खाता बहियों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार पंचायत को खाता बहियों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में लेखांकित आय–व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार खाता बहियां नहीं बनाई गई थी | खाता बहियाँ नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। अतः भविष्य में उक्त नियमानुसार खाता बहियों का रख-रखाव किया जाए तथा वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 48/2024 दिनांक 17.01.2024 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 1/2024 दिनांक 19/01/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना के

अनुसार पंचायत का अवधि 04/21 से 03/23 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अतः पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹16.70 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 48/2024 दिनांक 17.01.2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹**1669924.60 की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अतः ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 48/2024 दिनांक 17.01.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 1/2024 दिनांक 19/01/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 48/2024 दिनांक 17.01.2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 1/2024 दिनांक 19/01/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.10 लाख की वसूली हेतु शेष :-

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित है | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 48/2024 दिनांक 17.01.2024 के क्रम संख्या 5 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 1/2024 दिनांक 19/01/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2023 तक पंचायत राजस्व गृहकर ₹10140 **(परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2021-22	12280	5790	18070	0	18070
2022-23	18070	5790	23860	13720	10140

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

ख) हि० प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था | अतः गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए |

7.2 मोबाइल टावर शुल्क ₹0.10 लाख की वसूली न करना :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 48/2024 दिनांक 17.01.2024 के प्रत्युत्तर में यथा (**परिशिष्ट - ग**) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.23 को **निम्न विवरणानुसार** मोबाईल टावरों के स्थापना / नवीनीकरण शुल्क **₹10000/-** वसूली हेतु शेष थी जिसे सूचना प्रोद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या DIT.Dev-(IT)2005(Misc.)-96 दिनांक 21/06/2017 व Right of Way Policy-2021 से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या: DIT-FO5(23)/1/2017-I.T.Section-GOHP, दिनांक 09.02.2021 के अनुसार वसूल किया जाना अपेक्षित है। अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वसूली हेतु कोई भी ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी | अत: मोबाईल टावरों के स्थापना / नवीनीकरण शुल्क की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	दिनांक 31.03.23 तक वसूली योग्य राशि (₹)
1)	Airtel 1	5000
2)	JIO 1	5000
	कुल योग	**10000**

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.04 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति शुल्क तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि ₹3800/- को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)**
1	2021-22	2400
2	2022-23	1400
	योग	**3800/-**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 54/2024 दिनांक 18.01.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03 दिनांक 19/01/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8.1 आपूर्तिकर्ता के बिलों से ₹0.54 लाख रॉयल्टी की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या

सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा |

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 03/2022 व 10/2022 के व्यय वाउचरों की जाँच दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए | परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को **सलंग्न परिशिष्ट "घ" अनुसार ₹53600/-** का अनियमित भुगतान किया गया | इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 57/2024 दिनांक 19.01.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 03/2024 दिनांक 19/01/2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटी जाएगी अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था |

अत: ₹53600/- के अनियमित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

8.2 आपूर्तिकर्ता के बिलों से स्त्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.23 लाख का अधिक भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में **₹**250000/- से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति

/ फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 03/2022 व 10/2022 में आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति के लिए **परिशिष्ट ड०** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹1144926/-** (जी.एस.टी. को छोडकर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर **₹22899/-** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

क्रम संख्या	**चयनित माह**	**फर्म / व्यक्ति का नाम**	**क्रय सामान का विवरण**	**राशि**	**जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि**
1	03/2022	VIPAN CEMENT AGENCY VPO THANAKALAN	सरिया	297999	5960 (2% x 297999)
2	10/2022	SITC ASSOCIATE SAILI ROAD PATHANKOT	सोलर लाइट	846927	16939 (2% x 846927)
			योग	**1144926/-**	**22899/-**

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 56/2024 दिनांक 19/01/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 03/2024 दिनांक 19/01/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित ₹22899/- जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली उपरान्त इसे सम्बन्धित फर्मो / व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 **₹4.60 लाख के व्यय के मूल्यांकन से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 03/2022 व 10/2022 में **निम्न विवरणानुसार** कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों व मस्ट्रोलों के अन्तर्गत **₹460389/- का** भुगतान किया गया था :-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	माह	कार्य का नाम	बिल संख्या व दिनांक	सामग्री	राशि (₹)
1	स्व स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/22	खाता निर्माण कमरा GPS क्यारियां	948 15/10/21	इटें	5735
2	स्व स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/22	खाता अपवर्धन पंचायत घर प्लाहटा	943,844 11/09/21	इटें	22940
3	स्व स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/22	खाता निर्माण वाटिका क्यारियां	056614 30/03/22	सीमेंट	15356
4	स्व स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/22	खाता निर्माण चैनेलाईजेशन देवराज, केहर सिंह	056614 30/03/22	सीमेंट	27641
5	स्व स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/22	खाता अपवर्धन पंचायत घर प्लाहटा	1966 12/03/2022	MS पाइप, लाइनर शीट आदि	21319
6	स्व स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/22	खाता अपवर्धन पंचायत घर प्लाहटा	1944 10/03/2022	MS पाइप	27598

7	स्व स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/22	खाता अपवर्धन पंचायत घर प्लाहटा	1950 11/03/2022	लाइनर शीट	104500
8	स्व स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/22	खाता अपवर्धन पंचायत घर प्लाहटा	1852 24/02/2022	प्लेन शीट, 18G आदि	94602
9	स्व स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/22	खाता निर्माण चैनेलाईजेशन देवराज, केहर सिंह	083 20/03/2022	सीमेंट किराया	4104
10	स्व स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/22	खाता अपवर्धन पंचायत घर प्लाहटा	मस्टरोल संख्या 5958 अवधि 01/01/22 से 31/01/2022	मजदूरी	17190
11	स्व स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/22	खाता अपवर्धन पंचायत घर प्लाहटा	मस्टरोल संख्या 5959 अवधि 01/01/22 से 31/01/2022	मजदूरी	37464
12	स्व स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	10/22	खाता Comp. सामुदायिक भवन प्लाहटा	मस्टरोल संख्या 5979 अवधि 01/09/22 से 30/09/2022	मजदूरी	46190
13	स्व स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	10/22	खाता Comp. सामुदायिक भवन प्लाहटा	1101 02/10/2022	फ्लोर टाइल्स	25800
14	स्व स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	10/22	खाता अपवर्धन पंचायत घर प्लाहटा	1102 04/10/2022	फ्लोर स्टेप	9950
					योग	**460389**

उपरोक्त उल्लेखित कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका अंकेक्षण अधियाचना संख्या 55/2024 दिनांक 18/01/20243 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई,

जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03/2024 दिनांक 19/01/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं को सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा | नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है | परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच नहीं हो सकी | अतः अपेक्षित अभिलेक्ष शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 49/2024 दिनांक 17.01.2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 02/2024 दिनांक 19/01/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	8	34
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1) (ए व बी)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

11 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 48/2024 दिनांक 17.01.2024 के क्रम संख्या 8 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 01/2024 दिनांक 19/01/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर आगामी अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

12 लघु आपत्ति विवरणिका:- इसे अलग से जारी नहीं किया गया है |

13 निष्कर्ष:- लेखाओं में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है।

04 MAR 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

1157 – 1161 का०/प्रति

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल०ए०)एच(पंच)(xv)(5)96/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि०प्र०।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना (हि०प्र०)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत पलाहटा, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

04 MAR 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का०/प्रति

पैरा संख्या 4 क व ... सन्दर्भित परिशिष्ट 'क'

ग्राम पंचायत पलाहटा विकास खण्ड बंगाणा व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश						
संकलित वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	3123592.6	7375964.2	10499556.8	7425788.2	3073768.6
2	2022-23	3073768.6	7595384.2	10669152.8	8999228.2	1669924.6

Secretary
Gram Panchayat Plahta
Dev. Block Bangana
Distt. Una (H.P.)

16

ग्राम पंचायत पलाहटा विकास खण्ड बंगाणा व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	2821589.1	3841820	6663409.1	4463043	2200366.1
2	2022-23	2200366.1	2613451	4813817.1	4060799	753018.1

स्वच्छ भारत मिशन (SBM) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	0	180002	180002	120263	59739
2	2021-2022	59739	30731	90470	89560	910

15वां वित्तायोग (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	257237	590696	847933	35256	812677
2	2022-23	812677	672738	1485415	570433	914982

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	0	2762694.2	2762694.2	2762694.2	0
2	2022-23	0	4278436.2	4278436.2	4278436.2	0

14वां वित्तायोग की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	44766.5	752	45518.5	44532	986.5
2	2022-23	986.5	28	1014.5	0	1014.5

Secretary
Gram Panchayat Plahta
Dev. Block Bangana
Distt. Una (H.P.)

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(1) का अंतशेष	1669924.60
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष	**1670081.60**
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि	0.00
4)	**योग (2+3)**	**1670081.60**
5)	**अन्तर (4-1)**	**157.00**

अंतर के कारण :- दिनांक 31/05/22, 31/06/22, 30/11/22 व 28/02/23 में स्व स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष के KCCB बंगाणा के बैंक खाता संख्या 20034071086 में बैंक द्वारा ₹40, ₹39, ₹39 व ₹39/- कुल ₹157/- ब्याज का क्रेडिट दिया गया, जिसे दिनांक 31.03.23 तक रोकड़ बही के आय पक्ष में लेखांकित नहीं किया गया।

Secretary
Gram Panchayat Plahta
Dev. Block Bangana
Distt. Una (H.P.)

5/2/2/2 "क-1"

दिनांक 31.03.23 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB Bangana (Own & GIA)	20034023837	697726.00
	KCCB Bangana (Own & GIA)	20034071086	5615.00
	PNB THANAKALAN (Own & GIA)	1723000100028440	17195.00
	PNB THANAKALAN (Own & GIA)	2661000100048549	32639.10
	PNB THANAKALAN (15th FC)	1723000100115582	914982.00
	KCCB THANAKALAN (SBM)	50066007269	910.00
	KCCB THANAKALAN (14TH FC)	50067436061	1014.50
		योग	**1670081.6**
2		**हस्तगत राशि**	**0.00**
		योग (1+2)	**1670081.6**

Secretary
Gram Panchayat Plahta
Dev. Block Bangana
Distt. Una (H.P.)

पैरा संख्या 7.1 (क)में संदर्भित परिशिष्ट "ख"

ग्राम पंचायत पलाहटा, विकास खण्ड बंगाणा जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2021से 31.03.2023तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2021-22	12280	5790	18070	0	18070
2022-23	18070	5790	23860	13720	10140

Secretary
Gram Panchayat Plahta
Dev. Block Bangana
Distt. Una (H.P.)

पैरा संख्या 7.2 में सन्दर्भित परिशिष्ट 'ग'

Statement of outstanding Balance of Mobile Towers as on 31.03.2023

2021-22

Sr. No	Tower company / No. of tower	Outstanding as on 01.04.2021	Due for the year 2021-22	Total	Rental realized during 2021-22	Outstanding as on 31.03.2022
1	Airtel 1	00	5000	5000	00	5000
2	JIO 1	00	5000	5000	00	5000
	Total		**10000**	**10000**		**10000**

नोटः- दिनांक 31.03.2021 तक ग्राम पंचायत द्वारा मोबाइल टावरों के शुल्क की वसूली से सम्बन्धित रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था, जिस कारण दिनांक01.04.2021 को कितना मोबाइल टावर शुल्क वसूली हेतु शेष था, की पुष्टि सम्भव नहीं हो सकी।

2022-23

Sr. No	Tower company / No. of tower	Outstanding as on 01.04.2022	Due for the year 2022-23	Total	Rental realized during 2022-223	Outstanding as on 31.03.2023
1	Airtel 1	5000	00	5000	00	5000
2	JIO 1	5000	00	5000	00	5000
	Total	**10000**		**10000**		**10000**

Note: -Annual Demand for 2022-23 is nil due to the clause 6 (G) of chapter 2 of right of way policy, 2021 notified by I.T Department Government of Himachal Pradesh vide Notification No. I.T (F)1-1/2020 dated 09-02-2021. it is also certified that no Mobile Tower has been installed on the land of Gram Panchayat.

Secretary
Gram Panchayat Plahta
Dev. Block Bangana
Distt. Una (H.P)

पैरा संख्या 81 में सन्दर्भित परिशिष्ट 'ध'

ग्राम पंचायत पलाहटा विकास खण्ड बंगाणा जिला ऊना हि० प्रदेश										
क्र.स.	योजना	वाउचर संख्या /माह	कार्य का नाम	बिल संख्या /दिनांक	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा (टनों में)	दर	देय रॉयल्टी
1	MMGPY	140/3/2022	निर्माण लिंक रोड जगदीश धनी राम आदि गांव कुड	30293	02-03-2022	M/S MAHAVEER STONE CRUSHER	रेत	20	80	1600
2	MMGPY	140/03/2022	निर्माण लिंक रोड जगदीश धनी राम आदि गांव कुड	30293	02-03-2022	यथोपरि	बजरी	24	80	1920
3	VMJSY	141/03/2022	निर्माण कमरा GPS क्यारिया	30291	01-03-2022	यथोपरि	रेत	16	80	1280
4	VMJSY	141/03/2022	निर्माण कमरा GPS क्यारिया	30291	01-03-2022	यथोपरि	बजरी	12	80	960
5	3rd SFC	143/03/2022	निर्माण सामुदायिक भवन पलाहटा	30290	10-03-2022	यथोपरि	रेत	28	80	2240
6	4th SFC	144/03/2022	निर्माण सामुदायिक भवन पलाहटा	30290	10-03-2022	यथोपरि	बजरी	32	80	2560
7	VMJSY	146/3/2022	निर्माण हाल GPS क्यारिया	30292	01-03-2022	यथोपरि	रेत	16	80	1280
8	VMJSY	146/3/2022	निर्माण हाल GPS क्यारिया	30292	01-03-2022	यथोपरि	बजरी	12	80	960
9	SBM	2/02/03/2022	निर्माण TOILET शिव मंदिर क्यारिया	30289	22-02-2022	यथोपरि	रेत	16	80	1280
10	SBM	2/02-03-2022	निर्माण TOILET शिव मंदिर क्यारिया	30289	22-02-2022	यथोपरि	बजरी	12	80	960
11	MNREGA	शून्य /10/2022	निर्माण वाटिका नजदीक शिव मंदिर क्यारिया	32251	22-05-2022	यथोपरि	रेत	8	80	640
12	MNREGA	शून्य /10/2022	निर्माण वाटिका नजदीक शिव मंदिर क्यारिया	32251	22-05-2022	यथोपरि	बजरी	12	80	960
13	MNREGA	शून्य /10/2022	निर्माण रास्ता विनोद राज कुमार से आबादी कमल सिंह दर्शाना देवी विल घडथोली	32250	22-05-2022	यथोपरि	रेत	12	80	960
14	MNREGA	शून्य /10/2022	निर्माण रास्ता विनोद राज कुमार से आबादी कमल सिंह दर्शाना देवी विल घडथोली	32250	22-05-2022	यथोपरि	बजरी	20	80	1600
15	MNREGA	शून्य /10/2022	निर्माण लिंक रोड मेन रोड से आबादी ओंकार सिंह गाँव हरोट	32254	22-05-2022	यथोपरि	रेत	12	80	960
16	MNREGA	शून्य /10/2022	निर्माण लिंक रोड मेन रोड से आबादी ओंकार सिंह गाँव हरोट	32254	22-05-2022	यथोपरि	बजरी	28	80	2240
17	MNREGA	शून्य /10/2022	निर्माण लिंक रोड राकेश कुमार से संजय कुमार आदि गाँव हरोट	32253	22-05-2022	यथोपरि	रेत	8	80	640
18	MNREGA	शून्य /10/2022	निर्माण लिंक रोड राकेश कुमार से संजय कुमार आदि गाँव हरोट	32253	22-05-2022	यथोपरि	बजरी	8	80	640
19	MNREGA	शून्य /10/2022	निर्माण लिंक रोडआबादी बहादुर सिंह से आबादी गुरदेव आदि	30296	16-04-2022	यथोपरि	रेत	16	80	1280

पैरा संख्या 8.2 में सन्दर्भित परिशिष्ट 'ङ'

ग्राम पंचायत पलाहटा विकास खण्ड बंगाणा जिला ऊना हि० प्रदेश						
क्र.स.	फर्म का नाम	वाउचर संख्या	माह	बिल संख्या	दिनांक	राशि GST के अतिरिक्त
1	VIPAN CEMENT AGENCY VILL & PO THANAKLAN	121	Mar-22	910	12-03-2022	40949
2	यथोपरि	122	Mar-22	911	12-03-2022	40347
3	यथोपरि	123	Mar-22	913	12-03-2022	40806
4	यथोपरि	124	Mar-22	914	12-03-2022	41319
5	यथोपरि	125	Mar-22	917	14-03-2022	41288
6	यथोपरि	126	Mar-22	916	14-03-2022	40285
7	यथोपरि	127	Mar-22	918	14-03-2022	24560
8	यथोपरि	,2	Mar-22	943	20-03-2022	28445
				कुल योग		297999

ग्राम पंचायत पलाहटा विकास खण्ड बंगाणा जिला ऊना हि० प्रदेश						
क्र.स.	फर्म का नाम	वाउचर संख्या	माह	बिल संख्या	दिनांक	राशि GST के अतिरिक्त
1	SITC ASSOCIATES SAILI ROAD PATHANKOT	68	Oct-22	22-23-61	29-09-2022	423623
2	यथोपरि	69	Oct-22	22-23-62	29-09-2022	423304
				कुल योग		846927

Secretary
Gram Panchayat Plahta
Dev. Block Bangana
Distt. Una (H.P.)